वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद आगरा।

कृपया माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित जनसुनवाई पटल (IGRS) के माध्यम से प्राप्त **शिकायत संख्याः 60000200178723** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो श्री अभिताभ ठाकुर निवासी 5/426, विराम खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में आख्या भेजने विषयक है।

आरोपः–

श्री अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने संदर्भित पत्र में दिनांकः 06.12.2020 को ट्विटर हैण्डल के माध्यम से किये गए ट्विट के "ऑडियो थाना सैंया" के सिपाही व खनन माफिया की बताई गयी, जिसमें सूरज इंस्पैक्टर के खास सिपाही व पुष्पेन्द्र थाना के एस.आई. बताए गए,1.5 लाख की वसूली की बात हो रही है, के सम्बन्ध में आरोपित किया गया है।

तथ्यात्मक आख्याः–

उक्त परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्याः एसएसपी–ए–723/2020 (आईजी) दिनांकः 12.12.2020 के क्रम में श्री अमिताभ ठाकुर दिनांकः 06.12.2020 द्वारा किये गए ट्विट "ऑडियो थाना सैंया" के सम्बन्ध में मेरे द्वारा जॉच सम्पादित की गयी। जॉच के मध्य सभी सम्बन्धित के अंकित किये गए कथन तथा अभिलेखों/सीडीआर का अवलोकन/विश्लेषण करने के उपरान्त प्रकरण में 1. उ0नि0/860730619 श्री पुष्पेन्द्र कुमार, थाना सैंया जनपद आगरा, 2. आरक्षी 5004/182014387 सुधीर तोमर, 3. आरक्षी 4484/182014882 सूरज सिंह, 4. आरक्षी 5077/182018187 वीकेश कुमार, तत्कालीन थाना सैंया आगरा (वर्तमान नियुक्ति–पुलिस लाइन्स, आगरा) एवं होमगार्ड 3304 हरेन्द्र सिंह, कम्पनी–33 आगरा को दोषी पाते हुए, विस्तृत आख्या संख्याः सीएडब्लू–18/2020 (अन्य) दिनांकः 28.01.2021 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

31/01/2021

(सत्यजीत गुप्ता)
पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण
(पश्चिमी) आगरा।

संख्याः सीएडब्लू–आईजीआरएस–24/2020
दिनांकः जनवरी 31, 2021